गारंटी सहायता

क) **विलंब भुगतान गारंटी**

पीएफसी, परियोजनाओं की ओर से उनके भुगतान दायित्वों के लिए गारंटी जारी कर सकती है । इस प्रकार की गारंटी परियोजनाओं को वाणिज्यिक बैंकों, विदेशी उधारदाताओं एवं अन्य ऋण पूंजी बाजार सहित विविध व्यापक स्रोतों से प्रतिस्पर्धी दरों पर वित्त प्राप्त करने में समर्थ बनती है ।

ख) **अनुबंध निष्पादन/ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) दायित्वों के संदर्भ के लिए गारंटी**

1 **उद्देश्य**

ईंधन आपूर्ति करार (एफएसए) दायित्वों के तहत गैंस, तेल, कोयला या ईंधन या ईंधन के किसी अन्य रूप जैसे कच्चे माल की खरीद में सुविधा प्रदान करने के लिए कार्यकलाप/अनुबंध दायित्वों के निष्पादन हेतु गारंटी के माध्यम से गैर-निधि आधारित सहायता प्रदान करना । गारंटी निष्पादन, परियोजना की सीओडी की सीमा तक प्रतिबंधित है तथा यह निर्माण उपलब्धि से संबंधित है ।

2 **पात्र कंपनियां**

सभी पावर कंपनियां/संस्थाएं(राज्य सेक्टर एवं नगरपालिका निकायों के अतिरिक्त)।

3 **जोखिम सीमा**

इस नीति के अंतर्गत कंपनी/संस्था को गारंटी की स्वीकृति, कॉर्पोरेशन की नीति के अनुसार अधिकतम सीमा के अंदर होगी ।

4 **गारंटी की अवधि**

वाणिज्यिक प्रचालन आरंभ होने की तिथि के नियत तिथि तक ।

5 **गारंटी फीस एवं अन्य प्रभार**

उधारकर्ता द्वारा तिमाही गारंटी फीस का भुगतान प्रचलित दरों पर प्रत्येक वर्ष की देय मानक तिथियों अर्थात् 15/1, 15/4, 15/7 एवं 15/10 को अग्रिम रूप में किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उधारकर्ता को प्रबंधन फीस एवं अन्य प्रभार जैसे प्रोसेसिंग फीस आदि, जैसे लागू हो, का भी भुगतान करना होगा ।

6. **प्रतिभूति**

निम्नलिखित प्रतिभूतियों का संयोजन :-

(1) राज्य/केन्द्र सरकार गारंटी ।
(2) संपत्ति पर प्रभार ।
(3) कॉर्पोरेट गारंटी ।
(4) प्रमोटरों की व्यक्तिगत गारंटी ।
(5) शेयर गिरवी रखकर ।
(6) राजस्व पर प्रभार ।
(7) पीएफसी द्वारा स्वीकार्य अन्य कोई अन्य प्रतिभूति ।